राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांकः एफ.4(4)ग्रावि/नरेगा/सा.अं./2009–10/ जयपुर, दिनांकः

जिला कलक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक (नरेगा),
धौलपुर।

विषयः– ग्राम पंचायत कंचनपुर, पचायत समिति बाड़ी, जिला धौलपुर के लेखों एवं कार्यों के माह दिसम्बर, 2009 में किए गए विशेष जांच प्रतिवेदन पर कार्रवाई कराने बाबत।

महोदय,

राज्य सरकार के आदेश एफ.4(4)ग्रावि/नरेगा/सा.अ./2009–10 दिनांक 16.12.2009 के द्वारा ग्राम पंचायत कंचनपर, पंचायत समिति बाड़ी, जिला धौलपुर द्वारा दिनांक 1.4.2008 से 30.11.2009 तक नरेगा योजना अन्तर्गत किए गए एवं करवाये जा रहे कार्यों एवं लेखों तथा व्यय की विस्तृत जांच हेतु विशेष जांच दल श्री आर.पी. चौधरी, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर के नेतृत्व में गठित किया गया था। इस जांच दल ने दिनांक 23.12.2009 से 28.12.2009 तक ग्राम पंचायत के अभिलेख एवं कार्यों का भौतिक सत्यापन करके जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस **जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न की जा रही है।**

उक्त जांच प्रतिवेदन में दर्शाई गई अनियमितताओं पर आपके स्तर पर निम्नानुसार कार्रवाई की जानी है:–

1. राशि वसूली की कार्रवाई:–

अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	राशि रू.	प्रस्तावित कार्रवाई
ग्राम पंचायत द्वारा 8 निर्माण कार्यों में कनिष्ट तकनीकी सहायक द्वारा माप पुस्तिका में दर्ज माप एवं कार्यस्थल पर माप में अन्तर के कारण राशि रूपये 1,21,664/– का अधिक भुगतान किया गया है।	1,21,664/–	1. प्रतिवेदन के अनुसार इस अनियमितता एवं अधिक भुगतान के लिए श्री छितरीया, सरपंच, ग्राम पंचायत कंचनपुर, श्री गोरेलाल, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत, कंचनपुर उत्तरदायी हैं। 2. राशि रूपये 1,21,664/– की वसूली श्री छितरीया, सरपंच एवं श्री गोरेलाल ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव से बराबर अनुपात में की जावे। 3. कार्यस्थल पर माप से अधिक माप एम.बी. में दर्ज करने के लिए श्री गिर्राज सिंह, कनिष्ठ तकनीकी सहायक उत्तरदायी है। अतः श्री सिंह के विरूद्ध संविदा में उल्लिखित शर्तों के आधार पर कार्रवाई की जावे।

2. प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत कंचनपुर में एक ही नाम के कई जॉब कार्ड्स का विवरण कम्प्यूटर में गलती से फीड किया हुआ है। गलत डाटा को सही करावें एवं गलत डाटा फीड करने के लिए उत्तरदायी संबंधित फर्म/कार्मिक के विरूद्ध वांछित कार्रवाई की जावे।
3. ग्राम पवेसुरा के दो जॉब कार्ड संख्या 1153 एवं 970 संदिग्ध पाये गये, जिनकी सत्यता की जांच करवाई जावे एवं जॉब कार्ड फर्जी पाये जाने पर सरपंच एवं ग्राम सेवक के विरूद्ध कार्रवाई की जावे।
4. ग्राम पंचायत द्वारा गिट्टी, रेती, ग्रेवल, पत्थर का क्रय कच्चे बिलों पर किया गया है। नियमानुसार निर्माण सामग्री की खरीद रजिस्टर्ड फर्म/विक्रेता (आरएसटी/सीएसटी/टिन होल्डर) से की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा 1.4.2008 से 30.11.2009 तक क्रय की गई निर्माण सामग्री के बिलों का विवरण वाणिज्यिक कर विभाग को भिजवाकर वेट(VAT) की वसूली की कार्रवाई करवायी जावे।
5. तकनीकी स्वीकृतियां जारी करने के लिए सक्षम सीमा निर्धारण हेतु ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ 8(1)ग्राविवि/जीकेएन/06 दिनांक 15.03.2007 एवं आदेश क्रमांक एफ 8(1)ग्रावि/ग्रुप-8/जीकेएन/06 दिनांक 11.07.2008 जारी किये हुए हैं। भविष्य में सभी ग्राम पंचायतों की तकनीकी स्वीकृतियां पूर्ण एवं स्पष्ट रूप में जारी करने हेतु अधिशाषी अभियंता/सहायक अभियंता, नरेगा को निर्देशित करावें।
6. प्रतिवेदन के अनुसार कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्रों माप पुस्तिकाओं एवं मस्टरोलों में टास्क अंकित करने की दिनांक अंकित कराना तथा सरपंच, ग्राम सेवक एवं विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी के लिए भी हस्ताक्षरों के साथ तारीख अंकित कराना अनिवार्य करने की आवश्यकता है। इस क्रम में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ 1(1) नरेगा/नकद/09-10 दिनांक 08.10.2009 एवं आदेश क्रमांक एफ 4(29) ग्रावि./नरेगा/पार्ट-2 दिनांक 04.11.2009 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में इन आदेशों की पूर्ण पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक एफ.4(16)ग्रा.वि./ग्रा.रो./नरेगा/ 06 दिनांक 27.3.2008, के बिन्दु संख्या 7.3.1, आदेश क्रमांकः एफ.4(16)ग्रा.वि./नरेगा/06 दिनांक 14.11.2008, आदेश क्रमांकः एफ.4(5)आर.डी./नरेगा/2009-10 दिनांक 30.9.2009 एवं समय-समय पर जारी निर्देशों के द्वारा नरेगा कार्य स्थलों पर पूर्ण विवरण सहित सूचना पट्ट लगाने के निर्देश जारी किये गये हैं। निर्माण कार्यों के भौतिक सत्यापन के दौरान यह देखने में आया है कि अधिकांश कार्यों पर कार्य संबंधी विवरण का सूचना पट्ट नहीं पाया गया। अतः राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक कार्य पर सूचना पट्ट लगवाया जाना सुनिश्चित करें।
8. प्रतिवेदन में ग्राम पचायत द्वारा परिसम्पत्ति रजिस्टर (Asset cum cumulative expenditure register) के संधारण करने के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गई है। इस संबंध में राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक एफ. 4 (40) आरडी/नरेगा/ट्रें/स्टेट/09-10 दिनांक 23.10.2009 द्वारा जारी किये गये है। अतः जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में परिसम्पत्ति मय संचयी व्यय रजिस्टर (Asset cum cumulative expenditure register) का संधारण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
9. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 4(42)/ग्रावि/नरेगा/ग्रुप-III/06-07 दिनांक 22.3.2007 के अनुसार नरेगा कार्यों का जिले के संबंधित अधिकारियों द्वारा मानदण्डों के अनुसार गहन निरीक्षण समय-समय पर किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत के अभिलेख की जांच के दौरान पाया गया कि जिला एवं पंचायत समिति

अधिकारियों द्वारा ना तो कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया और ना ही रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर सहित पंचायत के किसी भी अभिलेख का निरीक्षण ही किया गया, जिसके कारण कार्यों के मौके एवं अभिलेख में अनियमिताएं किए जाने से संबंधित कार्मिकों को प्रोत्साहन मिला है और नरेगा कार्यों का इच्छित पूर्ण लाभ गरीबों को नहीं मिल पाया है। निर्धारित मानदण्डानुसार जिले की सभी ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित कार्यों एवं अभिलेख का निरीक्षण नहीं करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर नियमानुसार कार्रवाई कराने तथा भविष्य में ग्राम पंचायतों के कार्यों एवं अभिलेखों का समय–समय पर निरीक्षण को प्रभावी बनाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

10. ऐसी अनियमितताओं के नद्देनजर जिला एवं पंचायत समिति के स्तर से अधिकारियों द्वारा कार्यों एवं अभिलेख के निरीक्षण को प्रभावी बनाये जाने के संबंध में पूर्व दिशा–निर्देशों की निरन्तरता में प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा समस्त जिला कलक्टर्स को पुनः पत्रांक एफ.4 (29) आरडी/नरेगा/पार्ट–II/निरीक्षण दिनांक 29.12.2009 से आदेश जारी किये हैं, उनकी अनुपालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके लिए यह व्यवस्था की जावे कि जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा प्रतिमाह 10 तारीख तक पिछले माह में जिला एवं पंचायत समिति के अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यों के निरीक्षण अधिकारी वार विवरण प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को अ.शा. पत्र के माध्यम से प्रेषित करें। इस कार्य की सतत् मोनिटरिंग की जानी आवश्यक है।
11. वसूली की कार्रवाई राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 111(2) के अनुसार दिनांक 31.03.2010 तक आवश्यक रूप से कराया जाना सुनिश्चित करावें।
12. रिपोर्ट में इंगित सभी बिन्दुओं के आधार पर व्यवस्था/क्रियान्वयन सुधार के कदम उठाये जावें। प्रतिवेदन की बिन्दुवार अनुपालना/क्रियान्वयन रिपोर्ट प्रेषित करें।
13. उक्त बिन्दुओं के मद्देनजर योजना के कियान्वयन में सुधार किया जाना आवश्यक है। आपके स्तर पर यह सुनिश्चित किया जावे कि जिले की किसी भी ग्राम पंचायत में उक्त अनियमितताओं एवं प्रतिवेदन में उल्लेखित अन्य अनियमितताओं की पुनरावृत्ति नहीं हो।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्रवाई कराकर एक माह की अवधि में बिन्दुवार प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

20/1/10

(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव
(ई.जी.एस.)

क्रमांकः एफ.4(4)ग्रावि/नरेगा/सा.अं./2009–19/409-12 दिनांकः 22/1/2010

प्रतिलिपि

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा जिला परिषद धौलपुर को आवश्यक कार्रवाई हेतु।

22.1.2010

निदेशक
सामाजिक अंकेक्षण

ग्राम पंचायत – कंचनपुर
पंचायत समति – बाडी
जिला – धौलपुर
– : विशेष जांच रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरणः–

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4(4)ग्रावि/नरेगा/सा.अ./2009–10 दिनांक 17.08.09 के द्वारा विशेष जांच दलों का गठन कर नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों में दिनांक 01.04.08 से 30.11.09 तक किये गये/ करवाये जा रहे कार्यों एवं समस्त व्यय की विस्तृत जांच करने के निर्देशों की पालना में धौलपुर जिले की पंचायत समिति, बाडी की ग्राम पंचायत कंचनपुर के नरेगा कार्यो एवं एक ही नाम के अनेक जॉब कार्ड होने व फर्जी जॉबकार्ड होने से संबंधित श्री मुकेश गोस्वामी की शिकायत पुस्तिका–1 (पृष्ठ 1/सी से 210/सी) एवं शिकायत पुस्तिका–2 (पृष्ठ 1/सी से 124/सी) की मौके पर विस्तृत जांच दिनांक 22.12.09 से 27.12.09 तक की गई।

कुल गांव – 4	परिवार – 1145	जॉब कार्ड – 1253	निरस्त जॉब कार्ड–44
स्वीकृत कार्य – 39	संपादित कार्य – 26	पूर्ण कार्य – 13	अपूर्ण कार्य – 13
स्वीकृत राशि – 271.57	स्वीकृत राशि –181.33	व्यय राशि–48.31	व्यय राशि – 58.08

विशेष जांच रिपोर्ट तीन भागों में तैयार की गई जिसके सारांश एवं सुझाव बिन्दु निम्नानुसार हैं :–

भाग–1

1.1 शिकायत

नरेगा योजना में एक ही नाम के अनेक जॉब कार्ड से संबंधित शिकायत पुस्तिका–I (पृष्ठ 1/सी से 210/सी)

1.2 सारांश :–

जांच विवरण के अनुसार एक ही नाम के अनेक जॉब कार्ड की शिकायत सही नहीं है। केवल कम्प्यूटर में फीडिंग के समय गलती होने से नरेगा की वेबसाईट पर गलत सूचना प्रदर्शित हो रही है, जिसे दुरूस्त कराने की आवश्यकता है।

1.3 सुझाव :–

1. कम्प्यूटर में फीडिंग के समय हुई गलती के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक के स्तर से संबंधित फर्म/ कार्मिक के विरूद्ध कार्यवाही की जाना चाहिए।
2. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक को भारत सरकार के एनआईसी प्रभारी से वार्ता कर सूचनाओं की फीडिंग को दुरूस्त कराया जावे।
3. भविष्य में डाटा फीडिंग में कोई त्रुटि नहीं हो, इसके लिए प्रभावी मोनिटरिंग एवं टेस्ट चैक की व्यवस्था की जानी चाहिए।

भाग–2

2.1 शिकायत

नरेगा योजना में फर्जी जॉब कार्डों से संबंधित शिकायत पुस्तिका– II (पृष्ठ 1/सी से 124/सी)

2.2 सारांश :–

जांच विवरण के अनुसार फर्जी जॉब कार्ड की शिकायत सही नहीं है। केवल ग्राम पवेसुरा के दो जॉब कार्ड सं. 1153 एवं 970 संदिग्ध पाये गये, जिनकी सत्यता की जांच विकास अधिकारी से कराने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक को निर्देशित किया। जॉबकार्ड रजिस्टर में बिना फोटो लगाये जॉब कार्डों पर एक सप्ताह में परिवार का फोटो लगाने हेतु ग्राम सेवक एवं रोजगार सहायक को निर्देशित किया।

2.3 सुझाव :–

जॉब कार्ड पर एवं जॉबकार्ड रजिस्टर पर केवल सरपंच एवं ग्राम सेवक के हस्ताक्षर होते हैं। समयबद्ध तरीके से कार्यक्रम अधिकारी/ विकास अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर कराने से जॉबकार्ड संबंधित किसी प्रकार की अनियमितता/ लापरवाही पर अंकुश लगेगा।

भाग–3

3.1 निर्माण कार्य

नरेगा योजना में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 01.04.08 से 30.11.09 तक किये गये/ करवाये जा रहे कार्यों एवं समस्त व्यय की जांच

3.2 सारांश :–

ग्रामवार समस्त कार्यों का विवरण :–

क्र. सं.	ग्राम	स्वीकृत कार्यों की संख्या	प्रारम्भ किये गये कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	अपूर्ण/ प्रगतिरत कार्यों की संख्या	अप्रारम्भ कार्यों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	धौसपुर	6	4	2	2	2
2	कंचनपुर	13	8	6	2	5
3	कुरेन्दा	9	5	1	4	4
4	पवेसुरा	11	9	4	5	2
	कुल कार्य	39	26	13	13	13
	कुल राशि (लाखों में)	271.57	181.33	48.38	58.08	90.16

सम्पादित किये गये कार्यों का व्यय विवरण :–

प्रारम्भ किये गये कार्यों की संख्या	वित्तीय स्वीकृति			पंचायत द्वारा व्यय		
	श्रम	सामग्री	योग	श्रम	सामग्री	योग
1	2	3	4	5	6	7
26	119.74	61.59	181.33	68.44	37.95	106.39

3.2.1. जांच सारांशः–

भौतिक सत्यापन के दौरान सम्पादित कार्य मौके पर पाये गये। सामान्यतः कार्यो की गुणवत्ता ठीक है। मौके पर उपस्थिति मजदूर सम्पादित कार्यो एवं किये गये भुगतान से सन्तुष्ट है। किसी भी मजदूर का भुगतान बकाया नहीं है। कार्यो के व्यय में कोई गंभीर अनियमितता सामने नहीं आयी। सामग्री का समस्त भुगतान चैक से किया गया है। पंचायत द्वारा 8 कार्यो पर किये गये अधिक व्यय की राशि रू0 1,21,664/– सम्बन्धित सरपंच श्री छीतरिया एवं ग्राम सेवक श्री गौरेलाल से वसूली योग्य है, का विवरण निम्नानुसार हैः–

क0सं0	कार्य का नाम	**वसूली योग्य राशि**
1	ईंट खरजा अतिराजपुरा मय नाली–धौंसपुर	रु. 10346/–
2	ग्रेवल सड़क धौंसपुर से कुटिया तक–धौंसपुर	रु. 2001/–
3	पोखर गहरी एवं पक्की पाल निर्माण पटवार घर के पास–कंचनपुर	रु. 422/–
4	ग्रेवल सडक कुरेदा से बदरेठा की ओर–कुरेदा	रु. 8424/–
5	ग्रेवल सडक कुरेदा से मठगुसांई तक–कुरेदा	रु. 53730/–
6	नाला निर्माण कुरेदा	रु. 20578/–
7	ईंट खरंजा मय नाली बघेल बस्ती–कुरेदा	रु. 14208/–
8	ग्रेवल सड़क पवेसुरा से मठगुसांई तक–पवेसुरा	रु. 11955/–
	योग	**रु. 1,21,664/–**

3.3 सुझाव :–

3.3.1 सम्पादित कार्यो से अधिक व्यय की गई राशि रूपयें 1.21 लाख की वसूली सम्बन्धित सरपंच श्री छीतरिया एवं ग्राम सेवक श्री गौरेलाल से की जानी चाहिए।

3.3.2 निर्माण कार्यों की स्वीकृति मौके की स्थिति के अनुसार किये जाने की आवश्यकता है।

3.3.3 जिन अपूर्ण कार्यों में आगे कार्य करने का स्कॉप नहीं है, उन्हें इसी स्टेज पर पूर्ण मानते हुए बन्द कर देना चाहिए।

3.3.4 ग्रेवल सडकों में स्वीकृति एवं माप पुस्तिकाओं में सडक की चैनेज अंकित नहीं होने से स्थिति स्पष्ट नहीं होती, कि माप पुस्तिका में दर्ज माप सडक के किस भाग का है। चैनेज अंकित करना अनिवार्य करने की आवश्यकता है।

3.3.5. ग्रेवल सडकों के एस्टीमेट में ग्रेवल सप्लाई बाबत् लीड चार्ट भी अनिवार्य रूप से लगवाने की आवश्यकता है। ग्रेवल सप्लाई की लीड बाबत् प्रमाण–पत्र सरपंच एवं सचिव द्वारा जारी करने के पश्चात् ही एस्टीमेट एवं मूल्यांकन में उसके आधार पर लीड अंकित की जानी चाहिए।

3.3.6 कार्यों के उपयोगिता प्रमाण–पत्रों, माप पुस्तिकाओं एवं मस्टररोलों में टास्क अंकित करने की दिनांक अंकित कराना अनिवार्य करने की आवश्यकता है। बिना तारीख के उक्त दस्तावेजों को अमान्य किये जाने की आवश्यकता है।

3.3.7 सरपंच, ग्राम सेवक एवं विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी के लिए भी हस्ताक्षरों के साथ तारीख अंकित करना अनिवार्य करने की आवश्यकता है।

3.3.8 कार्य के प्रारम्भ होने के बाद प्रत्येक दो पखवाडों के पश्चात् उच्च अधिकारियों का निरीक्षण अनिवार्य कर कार्य का नियमित भौतिक सत्यापन कराने की आवश्यकता है।

3.3.9 त्रैमासिक संपादित कार्य का सत्यापन सक्षम अधिकारी से करना अनिवार्य कर, त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण–पत्र के आधार पर राशि का समायोजन भी साथ के साथ त्रैमासिक रूप से कराना प्रस्तावित है।

3.3.10 पंचायत समिति स्तर के अभियंताओं एवं कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता है।

3.3.11 पंचायत की रोकड़बही बैक स्टेटमेन्ट का मिलान, स्टॉक रजिस्टर एवं लेखों का नियमित निरीक्षण प्रतिमाह पंचायत समिति स्तर के अधिकारी /लेखाकर्मी के स्तर से कराया जाने की आवश्यकता है। उक्त मिलान की पुष्ठि की सूचना जिला स्तर पर प्राप्त कर मॉनिटरिग करने की आवश्यकता है।

(सर्वजीत सिंह)
कनिष्ठ लेखाकार
सदस्य जांचदल

(आर.पी. चौधरी)
अधीक्षण अभियंता (ग्रा.वि.)
प्रभारी अधिकारी, जांच दल